न्यायालय ब इजलास अम्बालाल मीना (आर. ए. एस) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास जिला कोटा (राज0)

मिसल नंबर 459 / 14

दायरा दिंनाक 09.09.2014

उनवान :–

1. रामनारायण पुत्र गज्जा जाति चमार निवासी कुशालीपुरा तहसील कनवास।
2. रामप्रसाद पुत्र हीरा जाति चमार निवासी कुशालीपुरा तहसील कनवास।
3. बाबूलाल पुत्र हीरा जाति चमार निवासी कुशालीपुरा तहसील कनवास।
4. रामनाथ पुत्र हीरा जाति चमार निवासी कुशालीपुरा तहसील कनवास।
5. चौथमल पुत्र हीरा जाति चमार निवासी कुशालीपुरा तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

1. चम्पालाल पुत्र किशना जाति चमार निवासी कुशालीपुरा तहसील कनवास।
2. हरदेव पुत्र किशना जाति चमार निवासी कुशालीपुरा तहसील कनवास।
3. प्रभूलाल पुत्र किशना जाति चमार निवासी कुशालीपुरा तहसील कनवास।
4. मथुरालाल पुत्र किशना जाति चमार निवासी कुशालीपुरा तहसील कनवास।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 53, आर टी एक्ट बाबत विभाजन आराजी एवं खातेदारी घोषणा धारा 88 आर टी एक्ट 1955

निर्णय कोर्ट केम्प ढोटी दिंनाक 04.06.2015

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट नरेन्द्र कुमार कटारिया वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढोटी तहसील कनवास में किशना, हीरा व रामनारायण पुत्र गज्या जाति चमार निवासी कुशालीपुरा के खाते में निम्न आराजी है, जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2068 – 2071 सलंग्न है।

क्र.संख्या	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर	किस्म चाही
1	1074	0.27	चाही तृतीय
2	1078	0.69	चाही तृतीय
3	1239	0.21	चाही तृतीय
4	1243	1.10	चाही तृतीय
5	1244	1.43	चाही तृतीय
6	1248	0.36	चाही तृतीय
7	1249	0.50	चाही तृतीय
8	1312	0.94	चाही तृतीय
कुल किता 08 की कुल रकबा 5.50 है0 आराजी			

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

यह कि उक्त वर्णित आराजी में किशना, हीरा, रामनारायण, तीनों का बराबर – बराबर 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है। इनमें खातेदार किशना 8 – 9 वर्ष पूर्व फौत हो गया है। तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 04 मृतक किशना के वारीस है। खातेदार हीरा भी 03 वर्ष पूर्व फौत हो गया है। तथा वादी क्रम 02 लगायत 05 मृतक हीरा के वारीस है। तथा सभी अपने – अपने हिस्से को काश्त कर रहे है। परन्तु खाता संयुक्त होने से भूमि पर ऋण लेकर विकास कराने में सभी को दिक्कतों का सामना करना पडता है। इसलिये वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है। कि वादी क्रम 01 अपने 1/3 हिस्से को तथा वादी क्रम 02 लगायत 05 भी मृतक हीरा के 1/3 हिस्से की आराजी का पृथक खाता व लागन कायम कराये तथा मृतक हीरा के 1/3 हिस्से पर अपना नाम खाते में दर्ज कराये, तथा मृतक किशना के 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी 01 लगायत 04 का नाम दर्ज किया जाकर किशना के 1/3 हिस्से का भी खाता पृथक करवाये।

यह कि प्रतिवादीगण बंटवार को सहमत नहीं हुए इसलिये यह वाद विभाजन आराजी प्रस्तुत करना आवश्यक गया है। जिसमें मृतक किशना व हीरा के वारीसों को व लैण्ड होल्डर होने से राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलवी की गई। दिंनाक 28.01.2015 को प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित होने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। व वादी के निवेदन करने पर पत्रावली को सुनवाई हेतु कोर्ट केम्प ढोटी में प्रस्तुत की गयी। प्रतिवादियों को बुलाया जाकर सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया,

वादीगण एवं प्रतिगण द्वारा निर्धारित प्रारूप में राजीनामा प्रस्तुत किया। वादी एवं प्रतिवादियों की पहचान पटवारी हल्का ढोटी व पदेन सचिव ग्राम पंचायत द्वारा की गयी। इनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रपत्र शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक राजीनामा आराजी खसरा नंबर 1074 रकबा 0.27 है0, खसरा नंबर 1078 रकबा 0.69 है0, खसरा नंबर 1244 रकबा 1.00 खसरा नंबर 1312 रकबा 0.47 है0 किता 04 की रकबा 2.43 है0 रामनारायण पुत्र गज्जा जाति मेघवाल निवासी कुशालीपुरा के नाम खसरा नंबर 1239 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 1243 रकबा 0.73 है0, खसरा नंबर 1244 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 1312 रकबा 0.47 है0 योग खसरा किता 04 की रकबा 1.79 है0 रामप्रसादत्र बाबूलाल, रामनाथ, चौथमल, सन्तोषबाई, उच्छवबाई, मोहनबाई पिसरान हीरालाल जाति मेघवाल सा0 कुशालीपुरा जाति मेघवाल के नाम खसरा नंबर 1239 की रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 1243 की रकबा 0.37 है0, खसरा नंबर 1248 की रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 1249 की रकबा 1.28 है0 चम्पालाल, हरदेव, प्रभूलाल, मथुरालाल, पांचीबाई, शान्तिबाई, पिसरान किशना जाति मेघवाल सा0 कुशालीपुरा के नाम सामलाती में राजीनामा प्राप्त होने पर तहसीलदार कनवास से खाता विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। नायब तहसीलदार कनवास द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समाझाईश एवं राजीनामा अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 के अन्तर्गत खाता विभाजन प्रस्ताव किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली का गहनता से विवेचन किया गया। मुताबिक राजीनामा वाद वादी एवं प्रतिवादी गण स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार कनवास से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन किया जाना स्वीकार है। विवरण खाता विभाजन निम्न प्रकार हैं :–

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

क्र. संख्या	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	भू0राजस्व		दिशा
1	रामनारायण पुत्र	ढोटी	1074	0.27	चाही तृतीय	22	5.49	सम्पूर्ण
	गज्जा जाति मेघवाल		1078	0.69	--------	22	15.18	सम्पूर्ण
	सा0 कुशालीपुरा		1244	1.00	----------	22	22.00	उत्तर
	खातेदार		1312	0.47	--------	22	10.34	पूर्व
	योग किता 04 की रकबा 2.43 है0						53.46	
2	रामप्रसाद, बाबूलाल,	ढोटी	1239	0.16	चाही तृतीय	22	3.52	पूर्व, उत्त दक्षिण
	रामनाथ, चौथमल,							
	सन्तोषबाई पिसरान		1243	0.73	--------	22	16.06	पूर्व
	हीरालाल जाति		1244	0.43	--------	22	9.46	दक्षिण
	मेघवाल सा0		1312	0.47	----------	22	10.34	पश्चिम
	कुशालीपुरा खातेदार)							
	योग किता 04 रकबा 1.79 हैक्टर						39.38	
3	चम्पालाल, हरदेव,	ढोटी	1239	0.05	चाही तृतीय	22	1.10	पश्चिम
	प्रभूलाल, मथुरालाल,		1243	0.37	--------	22	8.14	पश्चिम
	पांचीबाई, शान्तिबाई		1248	0.36	--------	22	7.92	सम्पूर्ण
	पिसरान किशना जा		1249	0.50	--------	22	11.00	सम्पूर्ण
	मेघवाल सा0							
	कुशालीपुरा)							
	योग किता 04 की रकबा 1.28 है0						28.16	

निर्णय आज दिनांक 04.06.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अम्बालाल मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद,न्याय आपके द्वार अभियान कोर्ट केम्प ढोटी
संशोधित अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code Appendix " D"-1)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास मुकाम : कनवास
बइजलास : अम्बालाल मीणा आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

1–रामनारायण पुत्र गज्जा जाति चमार निवासी कुशालीनुरा तह0 कनवास
2– रामप्रसाद पुत्र हीरा जाति चमार निवासी कुशालीपुरा तह0 कनवास
3– बाबूलाल पुत्र हीरा जाति चमार निवासी कुशालीपुरा तह0 कनवास
4– रामनाथ पुत्र हीरा जाति चमार निवासी कुशालीपुरा तह0 कनवास
5– चौथमल पुत्र हीरा जाति चमार निवासी कुशालीपुरा तह0 कनवास

– वादी

बनाम

1– चम्पालाल पुत्र किशना चमार निवासी कुशालीपुरा तह0 कनवास।
2– हरदेव पुत्र किशना चमार निवासी कुशालीपुरा तह0 कनवास।
3– प्रभुलाल पुत्र किशना चमार निवासी कुशालीपुरा तह0 कनवास।
4– मथुरालाल पुत्र किशनोपिया जाति चमार निवासी ग्राम दांता तह0 कनवास
5– राजस्थान8 सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा ।

– प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53 आरटीएक्ट

मुकदमा न. 459/14 सन् 12014 तारीख पैसला 2.7.2015 न्यायालय बजलाइ श्री अम्बालाल मीना आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी कनवास यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण स्वंय मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी एक लगायत 4 स्वंय मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा पक्षकारान के मध्य हुऐ राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार कर तहसीलदार कनवास द्वारा प्रस्तुत खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ग्राम मामोर के राजस्व रेकार्ड में प्रथक–प्रथक खाता अंकित किया जावे।

खाता विभाजन का विवरण निम्न प्रकार है। :–

क.स.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा न.	रकबा	किस्म	भू0राजस्व		दिशा
						दर	राशि	
1.	रामनाराण पुत्र गज्जा जाति मेधवाल सा0कुशालीपुरा खातेदार	ढोटी	1074 1078 1244 1312	0.27 0.69 1.00 0.47	चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय	22 22 22 22	5.49 15.18 22.00 10.34	सम्पूर्ण सम्पूण उत्तर पूर्व
	योग किता 04 रकबा 2.43 हैक्टयर						53.46	
2.	रामप्रसाद,बाबूलाल,रामनाथ,चौथमल,संतोषबाई,उच्छवबाई, मोहनबाई पिसरान हीरालाल जाति मेंधवाल सा. कुशालीपुरा हि0ब0 खातेदार	ढोटी	1239 1243 1244 1312	0.16 0.73 0.43 0.47	चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय	22 22 22 22	3.52 16.06 9.46 10.34	पूर्व उ0 दक्षिण पूर्व दक्षिण दक्षिण पश्चिम
	योग किता 04 रकबा 1.79 हैक्टयर					39.38		

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास, जिला कोटा

3	चम्पालाल,हरदेव,प्रभुलाल, मथुरा लाल,पाचीबाई,शान्ति बाई पिसरान किशना जाति मेंधवाल सा0 कुशालीपुरा हि0ब0 खातेदार	ढोटी	1239 1243 1248 1249	0.05 0.37 0.36 0.50	चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय चाही तृतीय	22 22 22 22	1.10 8.14 7.92 11.00	पश्चिम पश्चिम सम्पूर्ण सम्पूर्ण
योग किता 04 रकबा 1.28 हैक्टयर						28.16		

शब्द को हटाया जाकर इन्द्राज दुरस्ती की जावे। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी की जाती है। नीज.... X ......मुबलिग..... X ... बाबत X .... खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह X .... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... X ... को अदा करें।

बसबत मेरे हस्ताक्षर व मुहद अदालत के आज तारीख ..23.... माह ....5.......2016.. को जारी की गई ।

23.5.16

मोहर

अम्बालाल मीना (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टैट
कनवास (राज0)

Cirg. Dhoti.

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें ।

अम्बालाल मीना (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टैट
कनवास (राज0)